हरियाणा में नई SC आरक्षण श्रेणियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिये अनुसूचित जातियों (SC) **के भीतर उप-वर्गीकरण** लागू किया।

प्रमुख बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय के उप-वर्गीकरण पर निर्णय:**
  - 1 अगस्त 2024 को, **सर्वोच्च न्यायालय** ने फैसला सुनाया कि **राज्यों को अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है,** जो इसकी सामाजिक विविधता को स्वीकार करता है।
  - इस फैसले के बाद, **हरियाणा सरकार ने** अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को **मंजूरी** दे दी।
- **हरियाणा में उप-वर्गीकरण:**
  - **हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग** ने अनुसूचित जाति आरक्षण को **दो श्रेणियों** में विभाजित करने की सिफारिश की:
    - **वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC):** इसमें धानक, बाल्मीकि, मज़हबी सिख और खटीक जैसी **36 जातियाँ शामिल** हैं, जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण नौकरियों में SC आरक्षण कोटे का **50%** प्राप्त होगा।
    - **अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC):** इसमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रविदासी, जाटव, मोची और रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- **हरियाणा में DSC के लिये शैक्षिक कोटा:**
  - वर्ष 2020 में, हरियाणा ने **अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम** लागू किया, जिसके तहत **उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति की 50% सीटें DSC श्रेणी** के लिये आरक्षित कर दी गईं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-sc-reservation-categories-in-haryana